महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–5647/नौ–5–2010–355सा/09टीसी

प्रेषक,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं बरेली।

2– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, मथुरा, बदायूँ, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरूआसागर, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, हापुड़, जौनपुर, कन्नौज, खुर्जा, लहरपुर, लखीमपुर, लोनी, मैनपुरी, मऊ, मीरजापुर, मोदीनगर, मुजफ्फरनगर, नानपारा, रायबरेली, रामपुर, सम्भल, शाहजहॉपुर, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, वृन्दावन, सन्डीला, आजमगढ़ एवं पडरौना।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 29 जुलाई, 2010

विषयः जेएनएनयूआरएम कार्यकम के यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का समयबद्व कियान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जेएनएनयूआरएम कार्यकम के यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी परियोजनाओं का कियान्वयन प्रदेश में किया जा रहा है, जिनकी मिशन अवधि 2011–12 में पूर्ण हो रही है। इन परियोजनाओं के वित्तीय प्रबन्धन में भारत सरकार [redacted] का प्रमुख अंश है। स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि भारत सरकार के अंश सहित स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 से अवमुक्त होती है। कार्यकम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का कियान्वयन कार्यदायी संस्था को धन अन्तरित कर संबंधित नागर निकायों द्वारा कराया जा रहा है। परियोजनाओं के कियान्वयन की समीक्षा में यह पाया जा रहा है कि स्वीकृत परियोजनाओं के कियान्वयन की गति धीमी होने के कारण कार्य में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। इस कम में यह भी अनुभव किया जा रहा है कि जो धनराशि स्थानीय निकाय निदेशालय से अवमुक्त कर नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों को उपलब्ध करायी जाती है वह धनराशि नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों द्वारा कार्यदायी संस्था को परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु बहुत अधिक विलम्ब से अवमुक्त की जा रही है, जिसके कारण परियोजनाओं के कियान्वयन में अपेक्षित प्रगति नहीं आ पा रही है। परियोजनाओं के कियान्वयन/प्रगति की समीक्षा में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि में गैप की स्थिति को स्पष्ट करने के निर्देश के साथ चिन्ता भी व्यक्त की जा रही है।

2– उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कृपया प्रदेश की जेएनएनयूआरएम कार्यकम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का कियान्वयन निर्धारित समयावधि में पूर्ण होना नितान्त आवश्यक है। अतः परियोजनाओं के

सशक्त कियान्वयन की दृष्टि से एसएलएनए/स्थानीय निकाय निदेशालय से धनराशि मिलते ही तीन दिन में अन्तरण कर धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जाय, जिससे कार्यों की गति में तेजी आ सके और परियोजनाएं नियत समय से पूरी हो सकें। विलम्ब के स्थिति में अन्तरित की जाने वाली धनराशि पर देय ब्याज संबंधित नगर निकाय द्वारा देय होगा।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–5647(1)/नौ–5–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. एसएलएनए/निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
3. मार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।